न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– पंचम्, बक्सर।

B.P.No- 109/ 2026

बक्सर (मु0) थाना कांड संख्या– 258/2023

करीया राजभर उर्फ मिथिलेश राजभर

बनाम्

बिहार सरकार

अभियुक्त के तरफ से :– – श्री संतोष कुमार सिन्हा (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन के तरफ से :– – श्री केदारनाथ तिवारी, (विद्वान लोक अभियोजक)

उपस्थित,

संजीत कुमार सिंह

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, बक्सर ।

दिनांकः– 06वीं/अप्रैल/2026 ई0

आदेश

01. दिनांक 30.01.2026 से काराधीन आवेदक/अभियुक्त **करिया राजभर उर्फ मिथिलेश राजभर** उम्र–32 वर्ष, पिता– स्व0 मुन्ना राजभर सा0– छोटका राजपुर, थाना–तिलक राय के हाता, जिला–बक्सर की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन बक्सर (मु0) थाना कांड संख्या–258/2023, अंतर्गत धारा– 392 भा0 द0 वि0 दिनांक– 07.03.2026 को जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है। नियमित जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि सूचक कौशल कुमार की पत्नी सीमा कुमारी के नाम से गाड़ी नं0 BR44-F- 8881 है। दिनांक 01.06.2023 को अपने घर से जीजा की बहन की शादी में भभुअर गये थे। जीजा का नाम रवि कुमार पिता–विरेन्द्र राम, ग्राम–भभुअर के रहने वाले थे। उसी बारात से खाना खाकर 1.30 बजे रात को घर जा रहे थे। वह अपने काम के लिये चिमनी पर 4.00 बजे रोज जाते हैं, इसी वजह से रात में जाना पड़ा। तभी भभुअर पुल पर एक गाड़ी अपाची खड़ी थी तथा सूचक अपने रास्ते पकड़कर जा रहे थे तो उसका पीछा कर दिया। बभनी पुल के पास उसे रोकने की चेष्टा किया और आगे होकर गाड़ी से घेर लिया और गाड़ी का चाभी निकाल लिया। उस समय हाथा पायी हुआ तो बोला कि गाड़ी छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे और पर्स तथा सोने का चैन एवं 1000 रूपया छिन लिया।

03. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि वह बिल्कुल ही निर्दोष है तथा झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक उक्त वाद का नामित अभियुक्त नहीं है बल्कि मोहन चौहान के स्वीकारोक्ति ब्यान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आवेदक के विरूद्ध किसी तरह का अपराध में नामित नहीं है वो इसके पहले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मोहन चौहान के ही बयान पर बक्सर (मु0) थाना काण्ड संख्या–258/2023 एवं 262/2023 में गिरफ्तार हुआ है। मोहन चौहान को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से दिनांक– 29.11.2024 को रिहा किया गया है जजमेन्ट का बजाप्ता नकल का फोटो कॉपी संलग्न है। आवेदक का दूर–दूर तक इस घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के यहॉ से किसी तरह का आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं है। आवेदक का मोहन चौहान से कोई रिस्ता या संबंध नहीं है वो उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। आवेदक बाहर में रहकर प्राईवेट नौकरी करता है और परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक श्रीमान के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रहने वाला व्यक्ति है कहीं भी भागने की सम्भावना नहीं है। आवेदक हसब दफा 483 B.N.S.S. की सभी शर्तो को मानने को तैयार है। आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार किसी भी राशि का बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाए।

04. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

05. उभय पक्ष को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त को बक्सर मु0 थाना कांड संख्या–262/2023 से इस मामले में रिमांड किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर पीड़ित का मोटरसाईकिल एवं अन्य सामान का लूट किया है, जैसा कि मूल कांड दैनिकी के पैरा–78 में वर्णित है। आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मामले के सह अभियुक्त की स्वीकृति बयान पर आया है। मूल कांड दैनिकी के पैरा–32 में लूटी गई मोटरसाईकिल की जप्ती सूची बनी है। पूरक काण्ड दैनिकी के पैरा 74 में प्रतिवेदन वर्णित है। पूरक कांड दैनिकी के पैरा–94 में आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। जिससे आवेदक का आपराधिक प्रवृति का होना स्पष्ट है। मूल काण्ड दैनिकी के पैरा 26, 31 एव 36 से भी घटना में आवेदक की संलिप्तता की बात परीलक्षित होती है। इस मामले के सह अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–273/2024 दिनांक–20.03.2024 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम के द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चूका है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान अभी जारी है। उपरोक्त तथ्यों, विवेचना एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये उसे जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों विवेचना तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए **करिया राजभर उर्फ मिथिलेश राजभर** उम्र–32 वर्ष की ओर से दिनांक–07.03.2026 को दाखिल नियमित जमानत आवेदन **खारीज** किया जाता है।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

Sd/-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, बक्सर।

दिनांक–06.04.2026